न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 463–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–12–2012 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2012–13.

.....

1– रघुवीर सिंह आत्मज हीरालाल जाट
2– सिद्धार्थ आत्मज राजेन्द्रसिंह
3– अजीतसिंह आत्मज लक्ष्मीनारायण
4– लक्ष्मीनारायण आत्मज हरिशंकर
5– राजेन्द्र सिंह आत्मज हरिशंकर
समस्त कृषक निवासी ग्राम उमरावगंज
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन
6– कौशलसिंह आत्मज धनीराम
कृषक ग्राम उमरावगंज
निवासी ग्राम सियाकुंडल
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जिला कलेक्टर, रायसेन .....प्रत्यर्थी

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, गौहरगंज द्वारा ग्राम उमरावगंज स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 164 रकबा 0.572 हेक्टेयर नाईयत रास्ता में से 0.522 हेक्टेयर भूमि संहिता की धारा 237 (2) के तहत आबादी ग्राम आवास योजना घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के माध्यम से प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि तहसीलदार द्वारा बिना कोई जांच किए प्रश्नाधीन भूमि आबादी घोषित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे प्रकरण में नियमानुसार आबादी घोषित किए जाने हेतु उद्घोषणा जारी करें, आपत्ति आमंत्रित कर तथा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव एवं अभिमत लेकर भूमि आबादी घोषित किए जाने के संबंध में नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित की जाये तथा यह भी जांच की जाये कि शासन आदेशानुसार भूमि साढ़े सात प्रतिशत से कम तो नहीं होती है, विस्तृत प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित प्रस्तुत किया जाये । तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कार्यवाही की जाकर पुनः प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संहिता की धारा 237 के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु कलेक्टर को भेजा गया। कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–1–95 को आदेश पारित प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत परिवर्तन की गई । कलेक्टर, रायसेन के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–12–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 237 (1) (ख) के अंतर्गत जिन प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित रखी गई है, उनकी नोईयत परिवर्तन करने का अधिकार कलेक्टर को है । संहिता की धारा 237 (1) (ञ) के अंतर्गत प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई भूमियों की नोईयत परिवर्तन कलेक्टर द्वारा नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि रास्ते की भूमि आबादी में नहीं दे सकते हैं । उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाना थे, परन्तु आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 237 (1) (क) लगायत (ट) में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है । संहिता की धारा 237 (1) (ञ) में रास्ते के लिए भूमि सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 237 की उपधारा 2 में उपधारा 1 में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से पृथक रखी गई भूमियों की नोईयत परिवर्तन कलेक्टर की मंजूरी से किए जाने का प्रावधान किया गया है । स्पष्टतः कलेक्टर को रास्ते की भूमि की नोईयत परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और इसी अधिकार के तहत कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत परिवर्तन की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि संहिता की धारा 237 (1) (ञ) के अंतर्गत रास्ते के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि की नोईयत परिवर्तन करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है, और रास्ते की भूमि आबादी भूमि में नहीं दी जा सकती है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कलेक्टर को रास्ते की भूमि की नोईयत परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित विधिसंगत आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2012 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर